वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.07.2025 की कार्यवाही

दिनांक : 12.07.2025, शनिवार
समय : प्रातः 11.30 बजे
स्थान : कुलपति कार्यालय

उपस्थिति :–

1. प्रो0 प्रभात कुमार, कुलपति/सभापति
2. श्री विनय आर्य, प्रायोजित संस्था के प्रतिनिधि/सदस्य
3. श्री मुकेश कुमार, शिक्षा मत्रालय के नामित प्रतिनिधि द्वारा नामित सदस्य
4. श्री सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधि/सदस्य
5. प्रो0 सुनील कुमार, कुलसचिव/विशेष आमन्त्रित सदस्य
6. प्रो0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, विशेष आमंत्रित सदस्य
7. प्रो0 राकेश कुमार, वित्ताधिकारी/सचिव वित्त समिति

ईश वन्दना के उपरान्त सभापति महोदय की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई।

प्रस्ताव संख्या–01 : गत बैठक दिनांक 12.12.2023 एवं 21.03.2025 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 12.12.2023 एवं 21.03.2025 की बैठक परिसंचरण के माध्यम से की गई थी, जिसमें सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त हुई है। बैठक की कार्यवाही का कियान्वयन कर लिया गया है, अतः सभी सदस्यों द्वारा बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गई।

प्रस्ताव संख्या–2 : लेखा पुस्तकों के वित्तीय वर्ष 2023–2024 के आडिट के सम्बन्ध में।

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ के शाखा कार्यालय इलाहाबाद की आडिट टीम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–2024 का दिनांक 24.09.2024 से 08.10.2024 तक लेखा परीक्षा का कार्य पूर्ण किया गया है। इस सम्बन्ध में वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा आडिट रिपोर्ट का आकलन किया गया तथा श्री विनय आर्य जी ने कहा कि आडिट टीम द्वारा क्या–क्या आपत्तियाँ की गई है इसका आकलन किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि आडिट टीम द्वारा खाली पदों को न भरे जाने के सम्बन्ध में भी आपत्ति की गई है। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। वित्ताधिकारी/सचिव, वित्त समिति द्वारा अवगत कराया गया कि आडिट द्वारा यह भी आपत्ति की गई कि विश्वविद्यालय की पूर्व की बैलेंस सीटों में सेवा–निवृत्ति लाभो को (Actuarial Valuation) पर अंकित नही किया गया था। अतः इस वित्त–वर्ष 2024–2025 की बैलेंस सीट में यह विवरण भी अंकित कर लिया गया है। श्री मुकेश कुमार, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि आडिट हेतु वार्षिक लेखों को समय से तैयार किया जाना आवश्यक है ताकि समय से सभी आडिट कार्य सम्पन्न हो सके। अतः सभी सदस्यों द्वारा लेखा पुस्तकों के वित्तीय वर्ष 2023–2024 की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या–3 : वित्तीय वर्ष 2024–2025 के वार्षिक लेखों की स्वीकृति हेतु।

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के वार्षिक लेखों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये प्रारूप में बना दिया गया है, जिसको स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में वार्षिक लेखों का विवरण निम्नानुसार अंकित है।

क्रम सं0	मद	2024–2025	2023–2024
Income. 1.	Academic Receipts	29,48,50,733.00	29,01,83,719.00
2.	Grants/Subsidies	63,06,42,425.00	67,26,57,118.00
3.	Interest Earned	01,71,24,966.00	85,09,383.00
4.	Other Income	79,12,987.00	1,47,25,509.00
	Total (A)	**95,05,31,112.00**	**98,60,75,729.00**
Expen. 1.	Staff Payment & Benefits	78,16,66,887.00	82,11,18,977.00
2.	Academic Exp.	01,30,29,994.00	86,83,612.00
3.	Administrative & General Exp.	3,28,51,236.00	3,97,11,337.00
4.	Transportation Exp.	26,03,303.00	18,35,970.00
5.	Repair & maintenance	1,45,08,515.00	1,17,35,059.00
6.	Finance Cost	53,936.00	26,449.00
7	Depreciaton	2,30,48,038.00	2,18,03,582.00
8	Other Expenses	-	41,57,644.00
	Total (B)	**86,77,61,909.00**	**90,90,72,631.00**
	Balance Being Surplus/ (Defi cit) Carried to Capital Fund	**8,27,69,202.00**	**7,70,03,098.00**

वित्त समिति के सदस्यो ने सभी मदों में अंकित राशि के विवरण को पूछा तथा वित्ताधिकारी महोदय ने सभी मदों में अंकित राशि के विवरण को विस्तार से बताया। सभी सदस्यों के द्वारा उक्त वार्षिक लेखों का आकलन किया गया। अतः उक्त प्रस्ताव की सभी सदस्यों द्वारा सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या–04 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आनुमानित बजट की सम्पुष्टि।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के लिये वित्तीय वर्ष 2025–2026 का आनुमानित बजट आकलन भेजे जाने हेतु बनाया गया है, जिसके अनुसार वेतन, पेंशन एवं रिटायरमेंट बेनिफिट एवं नॉन सैलरी हेतु कुल बजट आकलन में रू 113.45 करोड की मांग की गई है। वित्तीय वर्ष 2025–2026 में कुल आन्तरिक प्राप्तियां रू 5.35 करोड होने की सम्भावना है जिसे नॉन–सैलरी मदों में व्यय किया जायेगा।

OH-36 (Salary)-

S.N.	Name of the Head	Budget 2025-2026
01	Faculty Salary	4550.00
02	Non-Faculty Salary	2300.00
03	Medical Expenses	180.00
04	Leave Encashment	45.00
05	LTC	40.00
06	Retirement Benefits	950.00
07	Children Education Allowances	60.00
	Total	8125.00

OH-31 (Pension)-

S.No.	Name of the Head	Budget 2025-2026
01	Pension and Pensionary Benefits	1850.00
02	Scholarship/Fellowship	50.00
03	Foreign/Domestic Travel	40.00
04	Security/ Housekeeping	250.00
03	Expenditre On Contractual Employees (Teaching)	130.00
04	Expenditure On Contractual Employees (Non-Teaching)	300.00
05	Other Expenses	600.00
	Total	3220.00

Total Amount Required (OH31+36) Rs 11345.00 Lakh

अतः इस सम्बन्ध में वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या–05 : विश्वविद्यालय के स्व–वित्त पोषित विभागों के वित्तीय वर्ष 2025–2026 का आनुमानित बजट आकलन सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित वर्ग में वित्तीय वर्ष 2025–2026 में कुल आन्तरिक प्राप्तियां रू 2500.00 लाख होने की सम्भावना है, अतः इस आधार पर आनुमानित बजट भी आय रू 2500.00 लाख के आधार पर बनाया गया है। जिसका विवरण निम्नांकित है।

(राशि लाख में)

S.No.	Total Income	Name of the Head	Budget 2025-2026
01	2500.00	Salary	1677.75
02		Non-Salary	175.50
03		Administrative Budget	625.00
04		Surplus Amt.	21.75
		Total	2500.00

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य जी ने पूछा कि गत वित्तीय वर्ष में स्व–वित्त पोषित वर्ग के अन्तर्गत कितनी आय हुई थी। इस सम्बन्ध में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि गत वित्तीय वर्ष में 26 करोड की आय हुई थी। अतः कम आय होने पर अवगत कराया गया कि छात्रों के प्रवेश में कमी तथा फीस कम होने पर यह आय कम हुई है। श्री विनय आर्य जी ने कहा कि केवल प्रथम वर्ष में प्रवेश कम होने पर इतना फर्क नही होना चाहिये। इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों का मत था कि प्रवेश कम नही होना चाहिये बल्कि इसमें वृद्धि किये जाने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी वर्षो में प्रवेश ठीक प्रकार से हो इसके लिये एक समिति का गठन किया जाना चाहिये। गठित समिति अपने स्तर से प्रवेश के सम्बन्ध में आस–पास के शिक्षण संस्थानों में चल रही फीस का सर्वे कर फीस से सम्बन्धित विस्तृत रिपोर्ट आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत करेगी। प्लेसमेंट, एन.आई.आर.एफ की रैंकिग ठीक हो इसके लिये भी समिति प्रयास करेगी। नये

Chairman

तरीके से प्रचार प्रसार हो और इसमें पूर्व छात्र (Alumni) को भी सम्मिलित किया जाये तथा आगामी वर्ष में 27 करोड का बजट बने इस बात का भी ख्याल रखा जाये। अतः स्व–वित्त पोषित वर्ग के वित्तीय वर्ष 2025–2026 के बजट की सम्पुष्टि वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–06 : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/संकायों एवं परिसरों में बजट आवंटन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाली आन्तरिक प्राप्तियों में से अनुमानित रूप से विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुरक्षण विभागों/संकायों तथा परिसरों के अन्तर्गत रू 535.00 लाख का बजट आवंटन किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :–

1.	प्रशासनिक बजट	रू 426.30 लाख
2.	मुख्य परिसर के समस्त विभाग	रू 85.70 लाख
3.	कन्या गुरूकुल परिसर, हरिद्वार के समस्त विभाग	रू 15.00 लाख
4.	कन्या गुरूकुल परिसर, देहरादून के समस्त विभाग	रू 8.00 लाख
		कुल योग 535.00 लाख

इस बजट के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य जी, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा श्री सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी जी ने कहा कि विश्वविद्यालय के अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आन्तरिक प्राप्तियों को बढाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये तथा इस सन्दर्भ में विज्ञापन का बजट भी बढाया जाना चाहिये। विज्ञापन के बजट के अन्तर्गत सभी सदस्यों का मत था कि विज्ञापन का बजट 15 लाख से कम नही होना चाहिये। अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 के बजट की सभी सदस्यों द्वारा सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या–07 : स्व–वित्त पोषित विभागों मे कार्यरत नियमित कर्मचारियों के डी.ए. एवं एच.आर.ए तथा धुलाई भत्ते में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

समविश्वविद्यालय के स्व–वित्त पोषित विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को वर्तमान में 50 प्रतिशत डी. ए. दिया जा रहा है जिसमें तीन प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव आया है। इसी प्रकार एच.आर. ए. वर्तमान में 9 प्रतिशत दिया जा रहा है जिसमें एक प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव आया है। वर्दी धुलाई भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है। अतः तीनों प्रकार की वेतन में वृद्धि किये जाने पर लगभग 24 लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार एक वर्ष में होगा।

इस सन्दर्भ में श्री विनय आर्य जी तथा शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा पूछा गया कि इससे पूर्व इन कर्मचारियों के डी.ए. में वृद्धि कब की गई थी। इस सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि इससे पूर्व कर्मचारियों को 34 प्रतिशत का डी.ए. 2023 में दिया गया था इसके पश्चात 2024 में 50 प्रतिशत का डी. ए. इन कर्मचारियों को दिया गया है। वर्तमान में अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत डी.ए. 55 प्रतिशत हो गया है। अतः 50 प्रतिशत डी.ए. की स्वीकृति एवं वर्तमान मे 53 प्रतिशत डी.ए. बढाये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस सन्दर्भ में वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा गहन विचार–विमर्श करने पर कहा गया कि पूर्व में दिये गये 50 प्रतिशत डी.ए. की स्वीकृति दी जाती है तथा उनके वेतन में और तीन प्रतिशत डी.ए. की वृद्धि किये जाने पर सबकी सहमति हुई। इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री मुकेश कुमार तथा श्री विनय आर्य जी ने कहा कि डी.ए. को प्रतिवर्ष बढाये जाने के लिये एक पालिसी बनाई जाये तथा पालिसी के निर्माण हेतु एक समिति का गठन कर लिया जाये जिसकी रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जाये। अतः उक्तानुसार प्रस्ताव की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या–08 : समविश्वविद्यालय में कार्यरत मृतक आश्रितों को न्युनतम रू 18,000/–एवं रू 19,900/– को दिये जाने के सम्बन्ध में।

समविश्वविद्यालय में कार्यरत मृतक आश्रितों को वर्तमान में न्युनतम वेतन दस हजार आठ सौ, तेरह एवं चौदह हजार तक दिया जा रहा है। अतः इन आश्रितों को एम.टी.एस. पद हेतु न्युनतम अट्ठारह हजार तथा एम.टी.एस. से ऊपर के पदों हेतु उन्नीस हजार नौ सौ की राशि प्रतिमाह दिये जाने के प्रस्ताव पर वित्त समिति में काफी विचार–विमर्श करने पर निर्णय लिया गया कि उपलब्ध फन्ड के आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष एक लिस्ट तैयार की जाये तथा राज्य सरकार की दरों के आधार पर दिये जाने वाले वेतन के सम्बन्ध में प्रस्ताव विस्तृत रूप से तैयार करने के उपरान्त प्रशासन इस प्रस्ताव को आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के उपरान्त इस प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भी प्रस्तुत किया जाये।

Kumar

प्रस्ताव संख्या– 09 : पं0 लेखराम छात्रावास में भवनों की रिपेयर कराये जाने के सम्बन्ध में।

पं0 लेखराम छात्रावास में पुराने भवन क्षतिग्रस्त है जिसको रिपेयर कराया जाना अति आवश्यक है। भवनों को रिपेयर कराये जाने पर आनुमानिक व्यय रू 10 लाख होगा। अतः भवनों को समिति द्वारा रिपेयर कराये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा कहा गया कि जी.एफ. आर. नियमों को ध्यान में रखते हुए समिति इस कार्य को ई–टेण्डर के माध्यम से अविलम्ब सम्पन्न करा ले। प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–10 : समविश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के फिक्स चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि रू 30,000/– से बढाकर रू 40,000/– किये जाने के सम्बन्ध में।

समविश्वविद्यालय में स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को वर्तमान में फिक्स चिकित्सा प्रतिपूति हेतु तीस हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जाते है। कर्मचारियो ने दवाइयों के मूल्यों एवं महंगाई को देखते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि को बढाकर चालीस हजार रूपये दिये जाने का अनुरोध किया है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि को बढाये जाने पर अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत 15 से 16 लाख रूपये तथा स्ववित्त पोाषित विभागो में आठ लाख रूपये तक का अतिरिक्त वित्तीय भार पडेगा।

इस सन्दर्भ में वित्त समिति के सभी सदस्यों ने विचार–विमर्श करने के उपरान्त कहा कि कर्मचारी यदि फिक्स चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ ले रहा है तो वह भविष्य में इसमें परिवर्तन नही करेगा। मेडिकल सुविधा के अन्तर्गत यदि कर्मचारियों का मेडिकल बीमा करा लिया जाये तो उचित होगा। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि कितने कर्मचारी फिक्स चिकित्सा का लाभ ले रहे है इसकी एक सूची भी तैयार कर ली जाये तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तैयार करने के उपरान्त इस विषय को अगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या–11 : छात्र कल्याण कोष को नियोजित प्रकार से व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

छात्र कल्याण कोष को नियोजित प्रकार से व्यय किये जाने के सम्बन्ध में एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। गठित समिति ने छात्रों के कल्याण हेतु एक नियमावली बनाई है जिससे कि छात्रों को मदद की जा सके। इस नियमावली को वित्त समिति के सदस्यों द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा गया कि इसमें केवल ब्याज के धन का उपयोग किया जाये और मूल धन को स्थिर रखा जाये। आगामी वर्षो में जो भी मूल धन आयेगा वह मूल धन में सम्मिलित कर लिया जायेगा। शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि छात्र कल्याण कोष की फीस रू 100/– काफी कम है जिसको बढाया जाना चाहिये। प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या–12 : कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग में 60 कम्प्यूटर सिस्टम को क्रय किये जाने के सम्बन्ध मे।

कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि वित्तीय वर्ष 2025–2026 में 60 कम्प्यूटर सिस्टम क्रय किये जाने है, जिस पर आनुमानित व्यय 15 लाख होगा। यह सिस्टम कम्प्यूटर लैब में स्थापित किये जाने है। कम्प्यूटर सिस्टम को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति के सभी सदस्यों का मत था कि कम्प्यूटर नये क्रय किये जाने चाहये। नये कम्प्यूटर को जैम के माध्यम से ही निर्धारित प्रकिया के अनुसार ही क्रय किये जाने के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की गई तथा प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या–13 : भारत सरकार द्वारा समय–समय पर होने वाले जी.एफ.आर. नियमों के संशोधनो को समविश्वविद्यालय में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जी.एफ.आर. नियमों को संशोधित किया जाता है। अतः संशोधित नियमों को विश्वविद्यालय में स्वतः लागू किये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति के सभी सदस्यों ने कहा कि दिनांक 12.07.2025 तक के जी.एफ.आर. संशोधनों को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदत्त

की जाती है तथा भविष्य में होने वाले संशोधनों को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति भी की गई। प्रस्ताव की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या–14 : समविश्वविद्यालय की पी0एफ0 नियमावली एवं सरकार द्वारा निर्देशित पी0एफ0 फन्ड को नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 31.07.2024 के द्वारा सूचित किया गया था कि समविश्वविद्यालिय, के पी0एफ0 नियमावली को उपलब्ध कराया जाये। इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा नियमावली तैयार कर ली गई है। पी0एफ0 के फन्ड को नियोजित किये जाने के सन्दर्भ में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.05.2025 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें निर्देशित किया गया है कि पी0एफ0 फन्ड को किस प्रकार से नियोजित किया जाना है। इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कर्मचारियों की भविष्य निधि पंजाब नेशनल बैंक में है तथा बैंक सरकारी ब्याज दरों के अनुसार इस निधि पर ब्याज नही दे रहा है तथा वर्ष 2022 से इस ओर ध्यान आकर्षित होने पर बैंक से काफी पत्राचार किया जा चुका है। इस सन्दर्भ में बैंक द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है। वित्त समिति के सभी सदस्यों ने कहा कि इस सन्दर्भ में लोकपाल (Ombudsman) को इस ओर ध्यान दिये जाने के लिये अविलम्ब कार्यवाही की जाये तथा पी.एफ. नियमावली को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रबन्ध मण्डल की बैठक में ले जाये जाने हेतु स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या–15 : प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), प्रयागराज से प्राप्त समविश्वविद्यालय के भवनों से सम्बन्धित आडिट आपत्ति के सम्बन्ध में।

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ के शाखा कार्यालय इलाहाबाद की आडिट ने विश्वविद्यालय में अधूरे पडे भवनों से सम्बन्धित आडिट आपत्ति की है जिसके सन्दर्भ में वित्त समिति के सभी सदस्यों को वित्ताधिकारी/सचिव, वित्त समिति ने अवगत कराया। इस सन्दर्भ में विचार विमर्श करने के उपरान्त कहा गया कि प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा को अविलम्ब इसका जवाब बनाकर भेज दिया जाये तथा अनुदान प्राप्त करने के लिये यू.जी.सी. एवं शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या–16 : श्री शत्रुघ्न झा की बर्खास्तगी अवधि 20.08.2021 से 05.07.2023 का वेतन जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री शत्रुघ्न झा की बर्खास्तगी अवधि 20.08.2021 से 05.07.2023 का वेतन जारी किये जाने के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया था। गठित समिति ने संस्तुति की है कि यह विषय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इस सन्दर्भ में विचार करने के उपरान्त सभी सदस्यों का मत था कि व्यक्तिगत पत्रावली के साथ विस्तृत विवरण देते हुए इस विषय को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में ले जाया जाये।

प्रस्ताव संख्या–17 : अन्य प्रस्ताव – सभापति महोदय की आज्ञा से।

प्रस्ताव संख्या–17–01 : समविश्वविद्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोले जाने के प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य जी ने कहा कि कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रस्ताव इस सम्बन्ध में आया है। इस सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा यह प्रस्ताव था जिस पर कुलसचिव के पत्र द्वारा बैंक को अवगत कराया गया कि विस्तृत विवरण द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव समविश्वविद्यालय को भेजा जाये। वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा सहमति दी गई कि यदि बैंक का प्रस्ताव सही प्राप्त होता है तो इस पर कार्यवाही कर बैंक की शाखा समविश्वविद्यालय में खोले जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या–17–02 : समविश्वविद्यालय में कार्यरत तदर्थ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को फिटमेंट टेबिल की न्युनतम राशि पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की वेतन वृद्धि फिटमेंट टेबिल की न्युनतम राशि पर प्रतिवर्ष दिये जाने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में वित्त समिति के सभी सदस्यों का मत था कि इस हेतु एक समिति का गठन कर लिया जाये तथा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशो को ध्यान में रखते हुए गठित समिति की सिफारिशों को आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत करे।

प्रस्ताव संख्या–17–03 : कुलसचिव को दिये जा रहे डेपुटेशन एलाउन्स की सम्पुष्टि के सम्बन्ध में वित्ताधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर अवगत कराया गया कि पूर्व के कुलपति महोदय की स्वीकृति के द्वारा कुलसचिव प्रो0 सुनील कुमार को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा रहा है जिसकी सम्पुष्टि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। इस सन्दर्भ में वित्त समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रतिनियुक्ति भत्ता भारत सरकार के नियमों के अधीन है, अतः इस विषय को वित्त समिति में लाना उचित नही है।

प्रस्ताव संख्या–17–04 : समविश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष एवं कुलसचिव की वित्तीय शक्तियों को बढाये जाने के प्रस्ताव पर वित्त समिति को वित्ताधिकारी महोदय ने अवगत कराया कि वर्तमान में विभागाध्यक्ष को रू 5000/–, संकायाध्यक्ष को रू 7000/– तथा कुलसचिव को रू 10,000/– की वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। अतः सुझाव प्रस्तुत किया गया कि विभागाध्यक्ष को रू 8000/– , संकायाध्यक्ष को रू 10,000/– तथा कुलसचिव को रू 15000/– की वित्तीय शक्तियां प्रदान कर दी जाये। इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के उपरान्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

शान्तिपाठ के पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

29/7/25

(प्रो0 राकेश कुमार)
वित्ताधिकारी एवं
सचिव, वित्त समिति

29-7-25